समाहरणालय मुजफ्फरपुर
(जिला पंचायत प्रशाखा)
****

दूरभाष संख्या 0621-2212101 [का]
0621-2212105 [आ] 2217285 [फै]
E-mail : dm-muzaffarpur.bih@nic.in

श्री धर्मेन्द्र सिंह, भा.प्र.से., जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक 03.05.2017 को आयोजित नगर निकाय आम निर्वाचन, 2017 की तैयारी से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : पंजी के अनुसार।

नगर निकाय आम निर्वाचन, 2017 के लिए वर्तमान तैयारियों एवं आगे की जाने वाली तैयारियों के संबंध में गठित कोषांगों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की गयी।

1. कार्मिक कोषांग–

(i) कार्मिक.कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्मिकों के लिए प्रथम नियुक्ति पत्र निर्गत कराते हुए उसका तामिला करा दिया गया है। वर्तमान में कुल 75 कार्यालयों से तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है तथा शेष कार्यालय से तामिला प्रतवेदन प्राप्त होना है। कार्मिकों का प्रथम प्रशिक्षण दिनांक 05.05.2017 से प्राप्त किया जाएगा। साथ ही कार्मिकों का द्वितीय प्रशिक्षण दिनांक 09.05.2017 से प्रारंभ किया जाएगा। इसको गंभीरता से लेते हुए निदेश दिया गया कि दिनांक 04.05.2017 की संध्या तक शतप्रतिशत कार्यालयों से तामिला प्रतिवेदन करना सुनिश्चित करें। यदि जिन कार्यालयों से तामिला प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है उनसे संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रस्ताव उपस्थापित किया जाए।

(ii) कार्मिक.कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी एवं जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी., मुज0 को निदश दिया गया कि द्वितीय नियुक्ति पत्र के संबंध में चुनाव आयोग से समन्वय स्थापित करते हुए सभी आवश्यक कार्रवाईयाँ निर्धारित समय सीमा के भीतर कराना सुनिश्चित करेंगे।

(iii) कार्मिक.कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी को निदश दिया गया कि कार्मिक कोषांग का अभी से लेकर मतगणना तक तिथिवार किये जाने वाले कार्यों का शिड्यूल तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. ई.वी.एम. कोषांग–

(i) ई.वी.एम. कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 20 ई.वी.एम.की कमी थी जो वर्तमान में प्राप्त हो चुका है।

(ii) जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी., मुजफ्फरपुर के द्वारा बताया गया कि ई.वी.एम. के यादृच्छिकीकरण (Randomization) के संबंध में विभाग को किसी प्रकार का निदेश प्राप्त नहीं हुआ है। निदेश दिया गया कि विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए दिनांक 12.05.2017 तक जो भी कार्रवाई हो उसे सुनिश्चित करा लिया जाए।

(ii) निदेश दिया गया कि ई.वी.एम. के यादृच्छिकीकरण (Randomization) हेतु तिथि निर्धारित करते हुए नगर निकाय वार डाटा संधारित कर रख लिया जाए तथा संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया जाए।

(iii) निदेश दिया गया कि नगर निकायवार ई.वी.एम. को चिन्हित करते हुए सभी निर्वाची पदाधिकारियों को दिनांक 12.05.2017 तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाए। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि ई.वी.एम. की सीलिंग हेतु वार्डवार कर्मियों की सम्बद्धता कर दी जाए तथा तत्संबंधी आदेश निर्गत कर दिया जाए।

(iv) निदेश दिया गया कि ई.वी.एम. को सीलिंग के उपरांत कहां रखा जाएगा इस हेतु वज्र गृह को चिन्हित कर लिया जाए। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि सुरक्षित ई.वी.एम. को कहां रखा जाएगा इसे भी सुनिश्चित कर लिया जाए।

(v) निदेश दिया गया कि जिस वार्ड में 4 से ज्यादा मतदान केन्द्र है उस वार्ड के लिए एक–एक सुरक्षित ई.वी.एम. को सीलिंग रख लिया जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके।

3. मतपत्र कोषांग–

(i) मतपत्र कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रपत्र 14 (ख) की जांच कर ली गई है।

(ii) मतपत्र कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इन्टेन्ट के अनुसार मतपत्र की छपाई का कार्य दिनांक 04.05.2017 से प्रारंभ करा दिया जाएगा। इस हेतु आदेश भी निर्गत कर दिया गया है।

4. व्यय अनुश्रवण कोषांग–

(i) व्यय अनुश्रवण कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि व्यय अनुश्रवण हेतु पांच दल का गठन कर लिया गया है। साथ ही व्यय मान्क तालिका की बना ली गई है तथा दर का निर्धारण कर लिया गया है। यह भी बताया गया कि तीनों निर्वाची पदाधिकारियों की इसकी प्रति उपलब्ध करा दी गई है।

(ii) निदेश दिया गया कि तिथि निर्धारित करते हुए सभी अभ्यर्थियों की नियमानुसार व्यय की जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

5. सामग्री कोषांग–

(i) सामग्री. कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त होने वाले निर्वाचन से संबंधित सामग्रियाँ कल तक प्राप्त हो जाएगी। प्रपत्र का मुद्रण आज रात्रि से प्रारंभ कर दिया जाएगा।

(ii) बताया गया कि दो तीन दिनों तक स्थानीय आपूर्तिकर्ता के द्वारा नगर निकाय आम निर्वाचन से संबंधित सभी वांछित प्रपत्र/सामग्रियां उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही दिनांक 12.05.2017 से सामग्रियों का पैकेटिंग किया जाएगा एवं दिनांक 15.05.2017 तक पूर्ण

कर लिया जाएगा। निदेश दिया गया कि ससमय गुणवत्तायुक्त सभी सामग्रियों को प्राप्त करते हुए पैकेटिंग आदि कराते हुए निर्वाची पदाधिकारियों को हस्तगत करा दिया जाए।

6. मीडिया कोषांग—

(i) जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुज0 द्वारा बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निदेश के आलोक में सभी मीडियागण को पास निर्गत किया जाना है। निदेश दिया गया कि इसकी तैयारी कर ली जाए।

(ii) जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि नगर निकाय निर्वाचन हेतु प्रेस ब्रीफिंग हेतु तिथि निर्धारित कराते हुए इसे सुनिश्चित कराया जाए।

(iii) जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि सभी कोषांगों से अद्यतन तैयारी से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए समाचार प्रकाशन हेतु स्थानीय प्रेस को उपलब्ध कराते रहें।

(iv) जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि प्रत्येक वार्ड में 10 के0वाई0सी0 लगाना है। निदेश दिया गया कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए मुद्रण आदि कराते हुए इसे सुनिश्चित करायें।

7. प्रशिक्षण कोषांग—

(i) बताया गया कि दिनांक 05.05.'2017 से कार्मिकों का प्रशिक्षण कार्य प्रांरभ किया जाएगा, जिसकी सारी तैयारी कर ली गई है।

8. वाहन कोषांग—

(i) वाहन कोषांग के वरीय/प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि नगर निकाय चुनाव में उपयोग होने वाले सभी प्रकार के बड़े एवं छोटे वाहनों का आकलन करते हुए आवश्यकतानुसार निर्वाची पदाधिकारियों को ससमय उपलब्ध करा दी जाए।

(ii) यह भी निदेश दिया गया कि सभी प्रकार के वाहनों को चिन्हित करते हुए उसे अधिग्रहण करने हेतु विधिवत वाहन मालिकों को शीघ्र नोटिस दिया जाए एवं आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(iii) वाहन कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वाहन कोषांग हेतु व्यय होने वाली राशि की गणना करते हुए जिला निर्वाचन शाखा से उसकी अधियाचना कर प्राप्त कर ली जाए।

9. आदर्श आचार संहिता कोषांग—

(i) आदर्श आचार संहिता कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि यदि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले प्रकाश में आते है तो तुरंत दोषी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(ii) आदर्श आचार संहिता कोषांग के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर बैनर, पोस्टर, पैम्फलेट आदि नहीं लगाये इसे सुनिश्चित किया जाए।

9. विधि–व्यवस्था कोषांग–

(i) विधि–व्यवस्था कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी निर्वाची पदाधिकारियों से पी0सी0सी0पी0 की सम्बद्धता से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। निदेश दिया गया कि वांछित प्रस्ताव शीघ्र प्राप्त करते हुए आवश्यक संख्या में दंण्डाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ii) यह भी निदेश दिया गया कि नगर निकाय चुनाव हेतु सेक्टर पदाधिकारियों एवं जोनल पदाधिकारियों की भी समय प्रतिनियुक्ति कराना सुनिश्चित करेंगे।

10. न्यूनतम मूलभूत सुविधा कोषांग–

(i) जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि सभी नगर निकायों से मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम मूलभूत सुविधा से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

(ii) यह भी निदेश दिया गया कि जिन मतदान केन्द्रों पर पेयजल, शौचालय, शेड, रैम्प आदि का अभाव पाया जाता है तो इस हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उसकी व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें।

11. प्रेक्षक कोषांग–

(i) प्रेक्षक कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि नगर निकाय चुनाव हेतु आने वाले प्रेक्षकों के लिए आवासन, भोजनादि की व्यवस्था परिसदन, मुजफ्फरपुर में ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ii) प्रेक्षक कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि प्रेक्षकों के लिए नामित सम्पर्क पदाधिकारियों को निदेश दिया जाए कि वे हमेशा उनके साथ बने रहेंगे एवं सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

ह0/–

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–
जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक /पंचायत, दिनांक

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर/नगर निकाय आम निर्वाचन, 2017 हेतु गठित सभी कोषांगों के वरीय/नोडल/प्रभारी पदाधिकारियों/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुज./अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी/ पश्चिमी, मुज. /सभी प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारियों/उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी., मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–
जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर।